राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2073/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
कृष्ण गोपाल सोनी बडा बाजार] सांभर लेक जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान पुलिस विभाग, जयपुर ग्रामीण जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 03-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री धर्मेन्द्र कुमार, हैडकांस्टेबल उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 16-8-17 के द्वारा उनकी राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायत क्रमांक 716130853967 की जांच पुलिस उप अधीक्षक, सांभर लेक द्वारा स्वयं की गई थी एवं अपीलार्थी के बयान पुलिस कार्यालय में दर्ज किये गये थे, उक्त शिकायत पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि प्रथमतः पत्र दिनांक 19-9-17 से अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया था कि प्रकरण जैनअनुसंधान है अतः सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 8(1)(ज) के तहत सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है, अन्ततः जांच पूर्ण होने पर सूचना से संबंधित तीन पृष्ठ रजिस्टर्ड पत्र अपीलोत्तर के साथ संलग्न कर अपीलार्थी को प्रेषित कर दिये गये थे तथा अब कोई सूचना दिया जाना शेष नहीं है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 9-4-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना का प्रेषण किया जा चुका है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

7. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त